कार्यालय सहायक आयुक्त
केन्द्रीय वस्तु एंव सेवा कर संभाग - सी, जोधपुर
2-E/1, सुभाष एन्क्लेव, केन्द्रीय विद्यालय के सामने, अभयगढ़ स्कीम, रातानाडा, जोधपुर-342001
दूरभाष. 0291-2940341
ई-मेल: **wn03cgst@gmail.com**

Urban Circular Forest (UCF) बनाने एवं उसके रखरखाव हेतु ई-निविदा

कार्यालय, सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, संभाग-सी, जोधपुर के लिए स्वच्छता प्रोजेक्ट (SAP) के तहत वर्ष 2024-2025 में CGST संभाग- सी, जोधपुर के अधीन मकराना रेंज क्षेत्राधिकार में स्थित कुचामन सिटी के खेल स्टेडियम के सामने भूभाग पर जापान की प्रसिद्ध मियावाकी विधि के अनुसार 11000 पेड़-पोधे लगाकर सघन वन **{नाम -Urban Circular Forest (UCF)}** विकसित करवाने हेतु GST पंजीकृत विनिर्माताओं से, जो ब्लैक लिस्टेड नहीं हों, से ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जाती है | निविदा से सम्बंधित शर्तें व अन्य विवरण, सम्बंधित कार्यालय में कार्यालय समय में या विभागीय पोर्टल https://cgstjaipur/gov.in पर अवलोकन की जा सकती है |

क्रम सं.	कार्य का नाम
1	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-सी, जोधपुर के अधीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज मकराना के क्षेत्राधिकार में स्थित कुचामन सिटी के खेल स्टेडियम के सामने भूभाग पर जापान की प्रसिद्ध मियावाकी विधि के अनुसार 11000 पेड़-पोधे लगाकर सघन वन **{नाम -Urban Circular Forest (UCF)}** का रोपण/देखभाल एवं विकसित करना तथा वर्कशॉप /सेमिनार आदि के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान करना	

22/07/2024
सहायक आयुक्त

दिनांक: 22/07/2024

फा.सं. I-(1)2/प्रशा/C/2024/

जे.पी.मीना / J. P. Meena
सहायक आयुक्त / Assistant Commissioner
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग 'सी' जोधपुर
Central Goods and Service Tax Div.'C' Jodhpur

1. श्रीमान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर |
2. संवाददाता दैनिक भास्कर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा न्यूनतम स्पेस में अंग्रेजी अंक में DAVP दर पर प्रकाशित करवा कर बिल कार्यालय में प्रस्तुत करें |
3. अधीक्षक कंप्यूटर, CGST and CX (Jaipur Zone) को विभागीय वेबसाइट (https://cgstjaipur.gov.in) पर अपलोड करने हेतु |
4. नोटिस बोर्ड

कार्यालय सहायक आयुक्त
केन्द्रीय वस्तु एंव सेवा कर संभाग सी, जोधपुर
2-E/1, सुभाष एन्क्लेव केन्द्रीय विद्यालय के सामने, अभयगढ़ स्कीम, रातानाडा, जोधपुर-342001
दूरभाष. 0291-2940341
ई-मेल: **wn03cgst@gmail.com**

निविदा प्रारूप

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-सी, जोधपुर के अधीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज मकराना के क्षेत्राधिकार में स्थित कुचामन सिटी के खेल स्टेडियम के सामने भूभाग पर जापान की प्रसिद्ध मियावाकी विधि के अनुसार 11000 पेड़-पोधे लगाकर सघन वन {नाम - Urban Circular Forest (UCF)} का रोपण तथा उनकी देखभाल हेतु निविदा तथा वर्कशॉप /सेमिनार आदि के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान करना

मैं/हम..
.... मोबाइल नंबर..
पता...

(निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता तथा दूरभाष नंबर)

01. मैं /हम निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है तथा निविदा सूचना के अन्य शर्तों जो सलंग्न की गई है (समस्त प्रस्ताव पर उसमे वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतीक स्वरुप हस्ताक्षर कर दिए हैं) का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूं /है।
02. उक्त दर अनुबंध अवधि से 31 मार्च 2025 के लिए विधि मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरांत बढ़ाया जा सकता है ।
03. अमानत राशि हेतु प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय /संभाग................................ केंद्रीय वस्तु सेवा कर...................................... के पक्ष में रुपए.................. का डीडी अथवा बैंकर्स चेक संख्या............................ दिनांक........................... बैंक का नाम............................... मय पता सलंग्न है।
04. पैन कार्ड और नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न सलंग्न है।
05. फर्म पूर्व में ब्लैकलिस्टेड नहीं होने बाबत शपथ पत्र संलग्न है ।
06. उपरोक्त कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है |
07. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शेड्यूल में प्रदान की जाने वाली दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित कर दी गई है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

फर्म/संस्था का नाम, मोबाइल नंबर एवं पूरा पता

ई निविदा वर्ष 2024 -25

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND TERMS AND CONDITIONS

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-सी, जोधपुर के अधीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज मकराना के क्षेत्राधिकार में स्थित कुचामन सिटी के खेल स्टेडियम के सामने भूभाग पर जापान की प्रसिद्ध मियावाकी विधि के अनुसार 11000 पेड़-पोधे लगाकर सघन वन {नाम -Urban Circular Forest (UCF)} का रोपण तथा उनकी देखभाल तथा वर्कशॉप /सेमिनार आदि के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान करना |

Special Instructions to the Contractor:-

1. The tenderer is requested to visit the site to acquaint himself with the site conditions, working conditions, approaches, availability of materials and other facilities for his labour force before submitting the tender.
2. Location &Scope of Work:

   Location: - Outside of Sports Stadium, Ring Road , Kuchaman City, Distt- Deedwana-Kuchaman (Rajasthan) (Old Dist- Nagaur).

   Probject :- Creation and Maintenance of **Urban Circular Forest (UCF)** of 11,000 plants in area approx. 20,000 Sq. Ft..

S. NO.	Name of item	Measurement/ Quantity	Remark
1	**Plants purchasing**	11,000 पौधे	पौधों की विभिन्न प्रजातियों (विलुप्ति के कगार, औषधि सहित फूल वाले पौधे और पक्षियों के फलों वाले पौधों) को इकठ्ठा करना, उनका रोपण करना एवं विकसित करते हुए सघन वन का निर्माण करना, पेड़ पौधें जो प्रोजेक्ट साइट की जलवायु में अनुकूलित हो उनकी खरीद, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग और अनलोडिंग खर्च एवं सभी पेड़-पौधों पर मियावाकी विधि के अनुसार श्रेणी मार्किंग तथा नंबर अंकित करने सहित **(पौधों की लिस्ट अनुलग्नक- अ)**
2	**Iron Fencing and iron net**	पौधों की सुरक्षा हेतु तारबंदी लगभग 5000 फ़ीट लम्बे तारबंदी वायर, आयरन नेट लगभग 1400 फ़ीट, ब्यान्डिंग वायर सहित	ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एंड अनलोडिंग सहित फेंसिंग तारबंदी और आयरन नेट (साइजः 2 इंच) की ऊंचाई कम से कम 6 फ़ीट हो और आयरन नेट को सपोर्ट हेतु चार लेन तारबंदी करनी होगी। प्रत्येक दो फ़ीट पर आयरन नेट पर तारबंदी वायर लगाना होगा इस प्रकार फेंसिंग की कुल ऊंचाई 8 फ़ीट रहेगी । फेंसिंग टाइट होनी चाइए, आयरन नेट और तारबंदी वायर उच्च गुणवत्ता के साथ ISI मार्का के होने चाइए । फेंसिंग के समस्त लेबर खर्च सहित ।
3	**Stone poles**	100 पोल, हाइट 9 फ़ीट	पत्थर के मजबूत पोल, मिट्टी में 2 फ़ीट गहरे गाड़ने के साथ वापस मिट्टी डालकर मजबूत करना होगा। (ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एंड अनलोडिंग सहित)
4	**Mixture of Gypsum, Nitrogen, Super phosphate and calcium**	30 टन	भूमि में इन पोषक तत्वों की कमी हैं। प्रारंभ में जिप्सम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सुपर फॉस्फेट पोषक तत्वों का मिश्रण बनाकर निर्देशानुसार मिट्टी में मिक्स होगा और बाद में समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर तीनों पोषक तत्व पानी के साथ पौधों में डालना होगा। (ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एंड अनलोडिंग सहित)

5	JCB Work	लगभग 25 घंटे का कार्य	चार फ़ीट गहरी मिट्टी को खोदना , उसमें दूसरी मिट्टी मिक्स करना , खाद मिक्स करना आदि सहित अन्य कार्य
6	Fertile soil and clay soil	20 ट्राली (लाल और बालू मिट्टी)	भूमि की लवणता सुधारने हेतु दूसरी लाल और बालू मिट्टी को मिक्स करना |(ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एंड अनलोडिंग सहित)
7	Bamboo Sticks	11000 स्टिक	बम्बू स्टिक की उचाई 6 फ़ीट होनी चाइये साथ ही स्टिक नए होने चाइए| बड़े होने तक पौधों को सपोर्ट करना, स्टिक को आवश्कतानुसार पौधों के सपोर्ट हेतु लगाना | (ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एंड अनलोडिंग सहित)
8	Organic Khad (Goat Dung)	4 ट्राली फंटे सहित	भूमि के उपजाऊपन को सुधारने हेतु 6 महीना पुरानी साफ़ मींगनी खाद होनी चाइए उसमें मिट्टी और अन्य वस्तुये नहीं होनी चाइए (आयतन : 28 घन मीटर)
9	Decomposed organic waste	15 ट्राली फंटे सहित	पर्यावरण प्रदूषण कारक वेस्ट मटेरियल जैसे जूट की बेकार बोरिया, सब्जी मंडी के अपशिष्ट, कृषि अवशेष , मंदिरो से बेकार नारियल के छिल्के, पेड़ –पौधों की सुखी पत्तियां, प्रोजेक्ट साइट के आस पास स्थित आर्गेनिक वेस्ट आदि को इकट्ठा करना और डिकम्पोज़ करके काम में लेना । निर्देशानुसार वेस्ट मटेरियल की लाइनिंग बनाना ।
10	Drip Irrigation system installation	11,000 ड्रीपर और फ़िल्टर सिस्टम	इंस्टालेशन और अन्य सभी खर्चो सहित
11	Watering	आवश्यकतानुसार पौधों को पानी पिलाना	जल लवणीय (कठोर जल) नहीं होना चाइए | पेड़-पोधों को आवश्यकतानुसार पानी पिलाना, जब तक कि पेड़ पोधे बड़े होकर स्वयं भूमि से पानी सोखकर काम चलाने लायक ना हो जाए | आवश्यकतानुसार जल की व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी |
12	Leveling work by tractor	लगभग 15 घंटे का कार्य	मिट्टी और खाद को मिक्स और भूमि की लेवलिंग करना |
13	Green Net for protection from extreme cold	1500 फिट लम्बाई और 40 फिट चौडाई	ग्रीन नेट और रस्सी 3 साल तक उपयोग वाली होनी चाहिए | इस क्षेत्र में सर्दियों में पाला से सुरक्षा हेतु तीन साल तक सर्दियों में ग्रीन नेट और रस्सी की आवश्यकता रहेगी।
14	After -care	दो वर्ष	विभिन्न कार्य जैसे पौधों को सर्दी से बचाने हेतु कवर करने हेतु लेबर खर्च, पौधों की समय-समय पर निराई गुड़ाई करना (15 दिन में एक बार या जब भी जरूरत हो), जलापूर्ति करना, नष्ट हुए पौधे की जगह नया पौधा लगाना, सुरक्षा करना, छंटाई करना, समय समय पर खाद डालना , दीमक की दवाई डालना, कीटों से बचाना आदि शामिल है।

15	Labour Expenses and other misc expenses	आवश्यकतानुसार	पौधारोपण लेबर खर्च, मल्चिंग खर्च, भूमि पर लेवलिंग और मार्किंग करना, लाइनिंग करना, सभी पौधों के ट्री रुट चार्जर सिस्टम बनाना, अन्य ट्रांसपोर्ट खर्च आदि
16	Workshop & Seminar on Conservation of Environment	-	विभागीय अधिकारियो के पूर्वानुमति/ देख रेख मे विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे विद्यार्थियों में क्विज प्रतियोगिता, प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत कपड़े के थैले वितरण, स्वैच्छिक श्रमदान कार्यकर्ताओं को टी-शर्ट वितरण आदि विभिन्न व्यवस्थाओं के खर्च । कार्यकर्म हेतु टेंट, जल, विधार्थियो हेतु नास्ता आदि सहित सम्पूर्ण व्यवस्था करना । (प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या लगभग 1500)

निविदा की शर्तें

01. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जोधपुर एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-सी, जोधपुर के अधीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज मकराना के क्षेत्राधिकार में स्थित कुचामन सिटी के खेल स्टेडियम के सामने भूभाग पर जापान की प्रसिद्ध मियावाकी विधि के अनुसार 11000 पेड़-पोधे लगाकर सघन वन **{नाम -Urban Circular Forest (UCF)}** का रोपण/देखभाल एवं विकसित करना तथा वर्कशॉप /सेमिनार आदि के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान करना ।

02. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन डाउनलोड /अपलोड करके भरने की अवधि दिनांक 23.07.2024 शाम 6:00 से 05.08.2024 को शाम 6:00 तक होगी |

03. अमानत राशि रुपए 10000 की डीडी प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग सी जोधपुर के नाम से जमा करना होगा

    i) निविदा शुल्क जमा करने के बाद की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी

    ii) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जाएगा।

04. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताएं निरस्त करने के समस्त अधिकार निविदा क्रय समिति के पास सुरक्षित है।

05. जिस फर्म की दर स्वीकृत की जाएगी उसे रुपए 500/- के नॉन ज्यूडिशल स्टांप पेपर पर अनुबंध करना होगा जिसका खर्च संबंधित फर्म को करना होगा एवं पूर्व में जमा 2% प्रतिपूर्ति (धरोहर) राशि को समायोजित करते हुए शेष अनुमानित लागत की राशि 3% के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि कुल 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी DDO को सात कार्य दिवस में जमा करवानी होगी ।

06. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में दी गई निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

07. निविदादाता संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।

08. समय-समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें |

09. पौधारोपण साइट पर किसी भी प्रकार की गंदगी/ कचरा आदि नहीं फैलाएगा तथा पौधारोपण करने के बाद में संपूर्ण साफ सफाई का कार्य फर्म का रहेगा ।

10. पौधारोपण की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना होगा ।और दीमंक/ कीटाणु रोधी आवश्यक ट्रीटमेंट ठेकेदार/संस्था को करवाना होगा|

11. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित स्थितियों में जब्त किया जाएगा।

    i) जब निविदा या संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो |

    ii) जब निविदादाता कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो ।

12. पौधों के बीच की दुरी निर्देशानुसार तथा वैज्ञानिक पद्धति अनुसार होनी चाइए |

13. औषधि सहित फूल वाले पौधे और पक्षियों के पसदींदा फ्रूट वाले पौधों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा |

14. ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जैसे बेकार नारियल के छिलके, बेकार बोरियां, पेड़ पौधे की सूखी हुई पत्तियां और कृषि अवशेष आदि का उपयोग करके जमीन में दो फीट गहराई पर अलग-अलग लेयर बनाई जाएगी इसका उद्देश्य आसपास में इनको

जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना है और इन वेस्ट पदार्थ का सदुपयोग करना है और आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।

15. वनीकरण का सम्पूर्ण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त समिति या अधिकारी के निर्देशानुसार ही करना होगा |
16. संपूर्ण प्रोजेक्ट कार्य आदेश मे तय दिवस में पूरा हो जाना चाहिए इस दौरान संस्था/ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन प्रोग्रेस रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी।
17. ठेकेदार/संस्था द्वारा पौधारोपण करने से पहले ड्राफ्ट प्लानिंग इस विभाग से स्वीकृत करवाना होगा |
18. ठेकेदार/संस्था को पौधारोपण का सम्पूर्ण कार्य अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करना होगा। CGST विभाग किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है । कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना ठेकेदार/संस्था की जिम्मेदारी है |
19. सामग्री यानी उपकरण, आयरन, खाद, उर्वरक आदि पर जीएसटी या बिक्री कर, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार/संस्था की जिम्मेदारी होगी।
20. सरकारी / गैर सरकारी संगठन अथवा संस्थाएं जिनको पूर्व में वनीकरण जैसे अभियानों का अनुभव हो ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी | वनीकरण अभियानों के अनुभव सम्बंधित कागजात साथ में सलंग्न करना होगा |
21. संस्था या फर्म जिनको विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल का उपभोग करते हुए जल संरक्षण तकनीक का भी इस्तेमाल करते हुए सघन वन लगाने का अनुभव होगा , उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । संस्था के द्वारा इस हेतु संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगा।
22. पेड़-पौधो की देखभाल और सुरक्षा हेतु निविदा देने वाली फर्म को सघन वन विकसित होने तक अनुभवी व्यक्ति / व्यक्तियो की नियुक्ति करनी होगी तथा उनका समस्त विवरण विभाग को देना होगा । इससे संबंधित प्रत्येक महीने की प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।
23. अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मिट्टी दिवस, विश्व जल दिवस आदि सहित विभिन्न दिवसों पर सेमिनार आयोजित करवाना होगा जिसमें विद्यालयों के विद्यार्थियों को शामिल करके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता लाना, आदि शामिल है । यह कार्य विभागीय अधिकारी की अनुमति तथा देखरेख में करना होगा। सेमिनार आयोजन का समस्त खर्चा निविदा दाता को ही वहन करना होगा।
24. सघन वन विकसित होने तक समस्त प्रकार के खर्चों का वहन निविदा दाता को करना होगा। विभाग किसी भी प्रकार के खर्च के लिए जिम्मेदार नहीं है।
25. सर्दी, बारिश, गर्मी, ठण्ड या अन्य कोई मौसमी आपदा पड़ने पर पौधों की विशेष देखभाल की जरूरत रहेगी | निविदा दाता को स्थानीय वातावरण में परिस्थितियों को ध्यान में रहते हुए उसके अनुरूप तैयारी रखनी होगी तथा उपरोक्त ऐसी स्थिति होने पर पौधों को बचाने हेतु उचित उपाय करना होगा जैसे की वर्षा ऋतु में जल भराव होने की स्थिति में जल के निकास हेतु तुरंत व्यवस्था करनी होगी, ग्रीष्म ऋतु में पौधों को "लू " से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगानी होगी, ग्रीष्मकल में पौधों को समय-समय पर अतिरिक्त जलापूर्ति करनी होगी इत्यादि ।
26. पौधों को कीटों से बचाने हेतु समय-समय पर उपयुक्त कीटनाशक का छिड़काव निविदा दाता को करना होगा ।
27. संस्था या फर्म को PAN Card, ITR, GST Certificate, Experience Certificate, Non Black List Affidavit आदि दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है ।
28. पौधारोपण करने के बाद इनकी देखभाल, सुरक्षा और जल आपूर्ति सहित अन्य देखभाल करनी होगी । और प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक इस विभाग को देनी होगी |
29. पौधारोपण करने वाली फर्म को सम्बंधित भूमि/स्थान पर पौधारोपण व सघन वन विकसित करने की अनुमति / NOC सम्बंधित सरकारी विभाग से लेकर इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी |
30. पौधारोपण करने वाली स्थानीय फर्म / ऐसी फर्म को भी वरीयता दी जाएगी जिसे स्थानीय वातावरण/परिस्थितियों में पौधारोपण का विशेष अनुभव हो |
31. सघन वन विकसित होने तक, यदि कोई पेड़-पौधों नष्ट हो जाये, तो सफल बोलीदाता को उसी प्रजाति के दुसरे पेड़-पौधों लगाने होंगे |

32. उपरोक्त वर्णित सभी **TECHNICAL SPECIFICATIONS AND TERMS AND CONDITIONS** का पालन करना होगा |

33. ठेकेदार/ संस्था को आयुक्त नगर परिषद् कुचामन (डीडवाना –कुचामन) के द्वारा निर्धारित निम्न सभी शर्तो का पालन करेगा |

   अ) पौधारोपण कार्य में समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय ठेकेदार/ संस्था के द्वारा वहन किये जायेंगे नगरपरिषद प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का व्यय वाहन नही किया जायेगा।

   आ) पौधारोपण नगरपरिषद सफाई निरिक्षक / कनिष्क अभियन्मा / सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार निधारित स्थान पर किया जायेगा।

   इ) स्टेडियम के अन्दर–बाहर पौधारोपण हेतु स्टेडियम के संचालक / प्रभारी की अनुमति लेनी होगी।

   ई) पौधारोपण कार्य में किसी प्रकार का यातायात व्यवधान अथवा आमजन को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।

   उ) पौधारोपण कार्य करते समय सम्पूर्ण प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी किसी प्रकार की दुर्घटना अथवा क्षति होने पर नगरपरिषद प्रशासन का कोई अत्तरदायित्व नहीं होगी ।

   ऊ) पौधारोपण कार्य के पश्चात पौधे विकसित होने तक समस्त देखभाल एवं सुरक्षा ठेकेदार/ संस्था द्वारा की जायेगी।

34. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने सभी कानूनों (जो भी लागू हो) जैसे की श्रमिक कानून, वन कानून, नगरपालिका कानून आदि का पालन करना होगा और जहा भी आवश्यक हो उसकी उसके पास वैध अनुमति लेकर ही कार्य करना होगा । किसी भी लागू नियम के उल्लंघन के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |

35. यदि किसी भी लागू कानून के उल्लघन होता है या होना पाया जाता है तो विभाग के पास भी उचित कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित है |

36. किसी भी विवाद में मामले को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटाया जा सकता है अथवा जोधपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा ।

37. उपरोक्त शर्तों में संशोधन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के उसे हटा/संशोधित/ शिथिलता प्रदान कर सकता है ।

ई टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश

A) निविदा में इच्छुक निविदा दाता निविदा प्रपत्र को विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ।

B) ऑनलाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक 6 अगस्त 2024 को खोली जानी प्रस्तावित है ।

C) वित्तीय निविदा के बीओक्यू में निविदा अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखनी होगी अंकों तथा शब्दों की दर में भिन्नता पाए जाने पर शब्दों में लिखी हुई को अंतिम माना जाएगा।

D) समस्त राशि कार्य संपूर्ण होने के पश्चात ही दी जाएगी कार्य पूर्ण होने से पहले किस्त/ एडवांस इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

E) कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् उसमे निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा उसके पश्चात् प्रति सप्ताह की दर से निर्धारित राशि (5000/-) मूल राशि में से पेनल्टी के रूप में काटी जाएगी ।

F) प्रयुक्त की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिवेश ट्रेडमार्क के पूर्णता रूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई एस आई मार्का के अनुसार अपेक्षा की गई हो वहां इन मुद्दों को पूर्ण रूप से निर्देश के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वही मार्क होना चाहिए ।

G) निरीक्षण या प्रशिक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी निविदा दाता को उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपने स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

H) प्रतिभूति राशि: प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद लौटाई जाएगी। केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम को कोई प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

I) <u>भुगतान</u>

   a) किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान प्रदान नहीं किया जाएगा |

b) सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के अनुसार निविदा का कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद ही बिल प्रस्तुत कर सकता है| यदि बिल कार्य पूरा होने से पूर्व होने या पूर्णता के प्रमाण की बिना प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त बिल पर विचार नहीं किया जायेगा|

c) भुगतान क्रय समिति/ विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा कार्य पूर्ण व संतोषजनक पाए जाने के प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाएगा।

d) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विभाग की क्रय समिति की जांच के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

e) बिल का भुगतान कार्य आदेश मे दिए गए कार्य के प्रतिस्तर पूर्ण तथा क्रय समित के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद 4 किश्तों मे किया जाएगा और अंतिम भुगतान अंत में जितने पेड़ विकसित पाए जायेगे निविदा राशी को उनके अनुपातिक रूप से संशोधित कर भुगतान किया जायेगा | इसके अलावा निविदा शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन/कमी पाए जाने की स्तिथि में क्रय समिति द्वारा भुगतान में की गई कटौती मान्य होगी |

f) यदि संविदा के निर्वाचन आशय या निविदा की शर्तें की उल्लंघन में संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को भी विभाग की अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा व उनका इससे निविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा|

J) निविदा को सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

मैं निविदा सूचना व उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूं।

निविदादाता हस्ताक्षर
मय सील मोबाइल नंबर

शपथ पत्र

श्री________________________पुत्र श्री____________________________________

उम्र________________जाति__________निवासी______________________तहसील_______

_______जिला__________ राज्य__________________प्रो. ________________________

यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि:

1. यह है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित अधिकारियों तथा निर्माण आदेश देने वाले अधिकारियों/ का/ से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है और ना ही कोई मेरे परिजन है |
2. यह है कि मेरे विरुद्ध किसी तरह के धोखाधड़ी लड़ाई एवं आपराधिक मामला दर्ज नहीं है |
3. यह है कि मेरी कोई अन्य संस्था नहीं है और यह निविदा का कार्य मेरी घोषित संस्था के द्वारा किया जायेगा |
4. यह है कि में निविदा शर्तो की पालना के लिए बाध्य हूँ |
5. यह है कि उक्त सूचनाएं सही है एवं सत्य है जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगी |

हस्ताक्षर

-तस्दीक-

मैं शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में क्र.सं. 1 से 5 तक वर्णित जानकारी मेरे निजी जानकारी एवं विश्वास से सही है | परमात्मा मेरी मदद करें |

हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे संस्था के पास पूर्ण अनुभव है, यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जोकि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग सीमा तक स्वीकार किया गया है, को रद्द किया जा सकता है|

निविदा

दाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – अ

निम्न पेड़ मियावाकी विधि के अनुसार लगाये जाने और इन पेड़ों पौधों की धरती पर ऊंचाई 2.5 फीट से 6.00 फीट तक अपेक्षित है | इस सारणी में दर्शाए गये पेड़-पौधों की संख्या अनुपातिक रूप से होने अपेक्षित है |

पौधो के नाम	पौधो के नाम	पौधो के नाम	पौधो के नाम	पौधो के नाम
अश्वगंधा	खेजड़ी	महुआ	कैंथ	चंपा
कालमेघ	मेहंदी	कसोड़	खिरनी	हरसिंगार
नीम गिलोय	रेलिया	अंगूर	गुग्गुल	जेट्रोफा
तुलसी	रोहिडा	हेज	गुड़मार	कल्पवृक्ष
अमलतास	सेमल	गुड़हल	खजूर	गेंदा (हजारे का पौधा)
आवंला	सहजन	जंगल जलेबी	सर्प गांधा	सदाबहार
अमरुद	शहतूत	खैर	इंद्रोक	सफेद आंकड़ा
अनार	शीशम	कुसुम	पाडल	सेजन जंगली
अशोक	सिरस	मोगरा	मालकांगनी	धोक
बांस	सीताफल	मोरपंखी	नौ पत्ती	धोक सफेद
बेर	बेर झाड़ी	नींबू	सिंदूरी	फराश
बिल पत्र	अरदू (आड़ू नीम)	रातरानी	सयोनक	ककेरा
चांदनी	बोगनबेल	सप्तपर्णी	कचनार	पारस पीपल
शीशम	मीठा नीम	शहतूत	कनेर लाल	धतूरा
गुड़हल	जामुन	मालाबार नीम	कनेर पीली	कदंब
गुलमोहर	पपीता	परास	करंज	पलास
गूंदा	रोंज	कंडिल	काटकरंज	टिकोमा
गूंदी	करोंदा	केर	नीम	तनस
इमली	कुमठा (खेर)	सतावरी	केसिया श्यामा	पीला ढाक
नाग चंपा	टेकोमा	गवारपाठा (एलोवीरा)	बोतल ब्रश	ल्यूकेना ल्यूकोसेफला (जंबे, पर्ल वेटल) (चावला)
गुलाब	आम	एलोस्टोनिया	ढांक	अंजीर
गूलर	अर्जुन	देसी जाल	अशोक (शाखा वाला)	